फर्द अहकाम

(नियम 28)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

जगदीश बनाम हरलाल (वगैरा)

रस्म मुकदमा प्रा० पत्र 111-128 नं० 166 सन 2022

ंक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
0.22	वाद / प्रार्थनापत्र वाद जॉच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 29.11.22 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल	
29/11/22	पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य [illegible] रखने से पत्रावली दिनांक 27/12/22 को पेश हो।	
27-12-22	पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित, वकील प्रार्थी विपक्षी सं. 1 व 6 के विरुद्ध कोई कार्यवाही नही चाहते है, विपक्षी सं. 2 लगायत 5 के सम्मन बाद तामील होकर प्राप्त हुए जिसे शा० प० किये गये। विपक्षीगण को तिनी मर्तबा आवाजे दिलायी जाने के बाद भी उपस्थित नहीं। इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता है वकील प्रार्थी का प्रा० पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा० प० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा	

Signature Not Verified

Digitally signed by Narayan Lal Jingar
Date: 2023.02.14 13:57:30 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

न्यायायल उपखण्ड अधिकारी, माण्ड़ल जिला भीलवाड़ा (राज0)

न अधिकारी– नारायण लाल जीनगर (आर0ए0एस0)

। संख्या– 166/22 प्रा0पत्र

जगदीश S/o श्री रामचन्द्र जुक निवासी-पीथास हाल नि0 7. H-15 पटेल नगर भीलवाड़ा

–प्रार्थी

बनाम

श्री हरलाल S/o नन्दा गाडरी निवासी- पीथास तहसील- माण्डल [वगैरा]
(प्रार्थनापत्र मुताबिक)

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा. अधि. 1956

दिनांक :– 27.12.22

::आदेश::

की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन कि ग्राम पीथास पटवार हल्का पीथास तहसील माण्डल में उसके /संयुक्त खाते की आराजी नं. 2604, 2605 कुल किता 02 रकबा 0.9358 पर स्थित हैं। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की गढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 19.10.22 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को कनार्थ से यह बात सिद्ध हैं कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का कारी हैं। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य हैं।

::आदेश::

र्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम पीथास पटवार ल्का पीथास तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आरजी नं. 2604, 2605 कुल किता 02 रकबा 0.9358 हेक्टयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी कये जाने हेतु पत्थगढ़ी किये जाने का आदेश किया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू–अभिलेख नेरीक्षक पीथास को 500/- रूपये/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की ... बिन्दु को आधार मानकर पत्थगढ़ी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थगढी नही की ...

Signature Not Verified
Digitally signed by Narayan Lal Jingar
Date: 2023.02.14 13:57:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल भीलवाड़ा

प्रतिलिपिः– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख हैं कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल भीलवाड़ा